क्रमांक 16/1/84-3 जी0 एस0-II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त व उप मण्डल अधिकारी (नागरिक)

2. रजिस्ट्रार पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।

दिनांक, चण्डीगढ़ 18 जनवरी, 1984।

विषय :- सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान व नौकरी की सुविधाएं प्रदान करना।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 9054-4 जी0 एस0-II-70/32230, दिनांक 22-12-70 तथा परिपत्र क्रमांक 60-3 जी0 एस0-II-75/6408, दिनांक 13-3-1975 की ओर दिलाने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जो हिदायतें समय समय पर जारी की गई हैं उनसे यह स्पष्ट है कि ऐसे केसों के निपटान में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिये तथा शोक संतप्त परिवार को राहत पहुंचाने के लिये हर स्तर पर हर संभव प्रयत्न करने चाहिएं।

2. परन्तु यह देखने में आया है कि इन अनुदेशों की पालना भली प्रकार से नहीं की जा रही है जिससे संतप्त परिवार को समय पर सहायता न मिलने के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा कई केसों में तो अनुग्रह-पूर्वक अनुदान व नौकरी संबंधी प्रस्ताव भेजने में संबंधित विभाग द्वारा बहुत अधिक समय (6 मास से ऊपर) लिया जाता है। अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में अनुग्रहपूर्वक अनुदान व नौकरी संबंधी पूर्ण प्रस्तावों का एक महीने में फैसला होना चाहिये। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक है कि सारे प्रस्ताव अलग अलग 21 दिन के अन्दर अन्दर सरकार को पहुंच जाने चाहिएं ताकि इस प्रकार के केसों को (top priority basis) पर डील किया जा सके।

कृपया इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन किया जाए व इन्हें अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों के ध्यान में ला दिया जाए। भविष्य में इन हिदायतों की पालना न करने वाले दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

ह0/-
उप सचिव, प्रोटोकोल,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक एक प्रति हरियाणा के सभी वित्तायुक्तों, आयुक्त एवं सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।